मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3541
11.08.2025 को उत्तर के लिए

पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन

3541. श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषादः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) द्वारा कितने पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया गया है और कितने पेट्रोल पंप मानदंडों का उल्लंघन करते पाए गए हैं;

(ख) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा स्थापित खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल पंपों) के पर्यावरणीय अनुपालन की कोई स्वतंत्र अथवा सरकारी संपरीक्षा की गई है;

(ग) क्या सरकार सभी पेट्रोल पंपों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए कोई नीति कार्यान्वित कर रही है; और

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान पर्यावरणीय मंजूरी के बिना अथवा नियमों का उल्लंघन करते हुए स्थापित की गई खुदरा दुकानों की संख्या कितनी है और इस संबंध में उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ): पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के खुदरा बिक्री केंद्र (आरओ) उनके लिए प्रस्तावित जगह के अनुसार, पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) और जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के बाद स्थापित किए जाते हैं। नीचे दिए गए विभिन्न विभागों से लागू होने वाली मंज़ूरी प्राप्त करने के बाद जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त द्वारा एनओसी जारी की जाती है:

(i) इस मुद्दे पर राजस्व विभाग की टिप्पणियाँ, कि आवेदक द्वारा भूमि का कब्ज़ा वैध है और पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण हेतु इन नियमों के अंतर्गत परिसर विकसित करने हेतु भूमि स्वामी या पट्टाधारक से प्राधिकरण प्राप्त है;

(ii) यातायात घनत्व और यातायात पर प्रभाव के संबंध में पुलिस विभाग की टिप्पणियाँ;

(iii) स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अनुरूप प्रस्ताव के संबंध में, जिसमें विद्यालय, अस्पताल और उपशमन उपाय, यदि कोई हों, शामिल हैं से संबंधित नगर निगम या ग्राम पंचायत या स्थानीय क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जो भी लागू हों, की टिप्पणियाँ;

(iv) सड़क सुरक्षा, सड़क संरेखण और सड़क तक पहुँचने के अनुरूपता के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या लोक निर्माण विभाग या किसी अन्य संबंधित प्राधिकरण की टिप्पणियाँ;

(v) आपात स्थिति में दमकल गाड़ियों के लिए स्थल की पहुँच और आपात स्थितियों से निपटने के लिए अग्निशमन सेवाओं की तैयारी के संबंध में अग्निशमन विभाग की टिप्पणियाँ।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने दिनांक 07.01.2020 को "नए पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए दिशानिर्देश" और दिनांक 16.08.2021 को परिशिष्ट जारी किए हैं, जिनमें नए पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए स्थल निर्धारण मानदंडों के अलावा विभिन्न प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपायों का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (एसपीसीबी/पीसीसी) को सीपीसीबी के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्थापित और 300 किलोलीटर/माह से अधिक ईंधन की बिक्री करने वाले पेट्रोल पंपों के लिए भूजल और मृदा गुणवत्ता निगरानी परीक्षण तेल विपणन कंपनियों द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिकृत प्रयोगशालाओं के माध्यम से हर दो साल में एक बार किया जाएगा। ईंधन खुदरा बिक्री केन्द्र के मामले में, जो सतही जल निकायों के निकटतम बिंदु से 100 मीटर के भीतर स्थित हैं, ऐसे पेट्रोल पंपों के परिसर के पास भूजल और मृदा गुणवत्ता निगरानी परीक्षण तेल विपणन कंपनियों द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिकृत प्रयोगशालाओं या राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से साल में एक बार किया जाएगा। निगरानी रिपोर्ट एसपीसीबी/पीसीसी को प्रस्तुत की जाती हैं।

उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) वार्षिक आधार पर टैंकों और ईंधन उपकरणों, जिनमें पाइप, अतिभरण सुरक्षा उपकरण और अलार्म सिस्टम शामिल हैं, का ऑडिट करेगा और रिकॉर्ड रखेगा।

पिछले 5 वर्षों के दौरान, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुपालन में तेल विपणन कंपनियों के दो खुदरा बिक्री केंद्र बंद कर दिए गए हैं।

*****